Case No - 417/23

सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

## Summons

**फाइल. सं. NCST/SER-754/MP/13/2023-SSW**

श्री यूसुफ कुरैशी
पुलिस अधीक्षक
जिला – सिंगरौली- 486886 (मध्य प्रदेश)
ईमेल : spsingrouli@gmail.com, दूरभाष – 07805-234601

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क केअंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष **दिनांक 12.04.2023 को 12:30 बजे,** आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

**मामलें का सन्दर्भ:-** अनुसूचित जनजाति के सिपाही पद हेतु उम्मीदवार को पुलिस विभाग द्वार नियुक्ति ना देने के संबंध में- श्री मेथू मेडा, ग्राम - नल्दीछोटी, पोस्ट- करदावाद , बड़ी तहसील, जिला - झाबुआ का दिनांक 01.02.2023 का online अभ्यावेदन ।

**सन्दर्भ :** पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश) के पत्र सं पुअ0/सिंग0/स्था0/पी-675/2023 दिनांक 27.02.2023

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **31.03.2023** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर
न्यायालय अधिकारी

मोहर

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003